<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), सन्त कबीर नगर।</u>

सत्रवाद संख्या–838/2025

सरकार–––––बनाम–––– दयाराम आदि

धारा–115(2), 352, 351(3), BNS

व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) SC/ST Act

थाना–मेंहदावल, जनपद– सन्त कबीर नगर।

<u>आरोप</u>

मैं **चन्द्रमोहन श्रीवास्तव**, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), सन्त कबीर नगर, आप अभियुक्तगण **दयाराम, सन्तराम व रजनी** व को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

प्रथम– यह कि दिनांक 10.08.2025 समय लगभग 12:00 बजे दिन, बहद स्थान मेंहाखोर, थाना–मेंहदावल, जिला संत कबीर नगर में आप लोगों ने वादी मुकदमा कोमल व उसकी पुत्री कु० खुशबू को लात–मुक्का व घुसा से मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य **धारा–115(2) BNS** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय-यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसकी पुत्री कु० खुशबू को लोक शान्ति भंग करने व प्रकोपित करने के आशय से गालियां देकर अपमानित किये। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य धारा–**352 BNS** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसकी पुत्री कु० खुशबू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक कृत्य किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य धारा–**351(3) BNS** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसकी पुत्री कु० खुशबू, जो कि अनु० जाति का सदस्य है, को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किये। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य धारा–**3(1)(द)**अनु०जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसकी पुत्री कु० खुशबू, जो कि अनु० जाति का सदस्य है, को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक गाली दियें। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य धारा–**3(1)(ध)** अनु०जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवार अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा यह जानते हुए की वादी मुकदमा व उसकी पुत्री कु० खुशबू जो कि अनु० जाति की सदस्या हैं, स्वेच्छया उपहति कारित करके उसे अपमानित कर जाने से मारने की धमकी दिया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित कृत्य धारा–**3(2)(va)** अनु०जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.01 16:22:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उक्त आरोप के लिए इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
दिनांक–01.06.2026 विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया तथा समझाया गया। अभियुक्तगण ने जुर्म से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
दिनांक–01.06.2026 विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।